रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1971/भाद्र 24, 1893
No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 1971/BHADRA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Indiacode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 1971

G.S.R. 1344. :—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967, (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1967, namely:—

1. These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1971.

2. In Schedule II to the Passports Rules, 1967, under the heading "PART I-PASSPORTS", in column 2 against serial No. II relating to "Official Passports",

(a) for item (2), the following item shall be substituted, namely:—

"(2) Officials of the Reserve Bank of India, the State Bank of India, nationalised banks and Corporations, Undertakings and any other Institutions owned or controlled by the State, holding the rank below that of Joint Secretary to the Government of India, proceeding out of India on official work, only if the Government of India considers it necessary to issue official passports to them in the interest of their functioning as such; and the members of their families when such members also proceed out of India at the expense of such organisations;"

(b) in item (4) the following shall be added at the end, namely:—

"and the members of the family of such an official deputed out of India for a period not less than twelve months, when travelling with, or joining with such official at his post abroad;"

(c) after item (5) and before the Note the following item shall be inserted, namely:—

"(6) Any other person who, in the opinion of the Government of India, should an official passport because of the nature of his foreign Mission."

[No. VI/401/104/70.]

P. N. MENON, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1971

जी० एस० आर० 1344.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम 1971 कहा जाये ।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची–दो में, "सरकारी पासपोर्ट" सम्बन्धी क्रम संख्या दो के सामने कालम–2 में, "भाग–एक––पासपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत (क) मद सं० (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद लिख दिया जाये, यथा :—

"(2) भारत के रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा निगम, संस्थान तथा सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किन्हीं अन्य संस्थाओं के ऐसे अधिकारी को भी, जिनका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम हो और जो सरकारी काम से भारत से बाहर जा रहे हों, सरकारी पासपोर्ट दिया जा सकता है लेकिन तभी जब भारत सरकार यह समझे कि उन्हें जिस रूप में भेजा जा रहा है उस रूप में उनके कार्य के लिये सरकारी पासपोर्ट जारी करना आवश्यक है; तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी, जब कि वे संगठनों के खर्च पर भारत से बाहर जा रहे हों;"

(ख) मद (4) के अन्त में निम्नलिखित पाठ जोड़ दिया जायेगा, यथा :—

"और कम-से-कम 12 महीने की अवधि के लिए भारत से बाहर प्रतिनियुक्त ऐसे अधिकारी के परिवार के सदस्य, जब विदेश-स्थित ऐसे अधिकारी के पास जा रहे होंगे या उसके साथ ही यात्रा कर रहे होंगे ।";

(ग) मद (5) के बाद और 'टिप्पण' से पहले, निम्नलिखित मद जोड़ दी जायेगी, तथा :—

"(6) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसके लिए, भारत सरकार की राय में, विदेश में उसके कार्य की प्रकृति के कारण, सरकारी पासपोर्ट आवश्यक हो।"

[सं० 6/401/104/70]

पी० एन० मेनन, सचिव ।

IndiaCode

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

IndiaCode